



कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण ,उदयपुर (राज.)
उपविभाजन /एकीकरण

क्रमांक : नविप्र///2026/

दिनांक :

वास्ते :-Mr PEMARAM पुत्र/पुत्री/पत्नी Mr CHUNNI LAL BHIL

निवासी - BHUWANA TESHIL BADGAON UDAIPUR,UDAIPUR
विषय :- राजस्व ग्राम Amberi के खसरा संख्या KH 3792/316 , 3800/313 , 3802/314 का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूखंड संख्या 1 क्षेत्रफल 7657.Sq.feet, के Subdivision बाबत।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्रांक 103752 दिनांक 18-09-2026 के क्रम में ।
महोदय / महोदया,
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम Amberi के खसरा संख्या KH 3792/316 , 3800/313 , 3802/314 का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूखंड का निम्न विवरण

Current Owner	Original Allottee	Plot No.	Area	Patta No	Patta Date
PEMARAM S/O LATE CHUNNI LAL BHIL	PEMARAM S/O LATE CHUNNI LAL BHIL	1	7657.Sq.feet	613	2026-09-09

न्यास आलेखों में दर्ज है । उक्त भूखंड का आप द्वारा संलग्न मानचित्र अनुसार Subdivision चाहा गया है । प्रस्तुत Subdivision मानचित्र अनुसार आपके नाम Subdivision निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

Owner	Subdivision Plot No	Area
PEMARAM S/O LATE CHUNNI LAL BHIL	1-A	3765.Sq.feet
PEMARAM S/O LATE CHUNNI LAL BHIL	1-B	3892.Sq.feet

- संलग्न मानचित्र इस Subdivision पत्र का अभिन्न अंग रहेगा । उक्त Subdivision निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-
- 1 - उक्त उपविभाजन इस शर्त पर किया गया है कि आप द्वारा ऑनलाइन अपलोडेड स्वामित्व दस्तावेज पूर्णतया सही है यदि स्वामित्व दस्तावेजों में कोई कपट/अपूर्णता/असत्यता पाई गई तो उदयपुर विकास प्राधिकरण इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा एवं समस्त अपराधिक उत्तरदायित्व आपके होंगे ।
 - 2- उपविभाजन भूखंड के संबंध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र भूखंडों का उप.विभाजन/पुनर्गठन एवं सुधार) नियम 1975 यथा संशोधित तथा समय-समय पर जारी विभागीय परिपत्र, दिशा निर्देशों एवं प्रवृत्त भवन विनियम की पालना करनी होगी।
 - 3- भूखण्ड का उपविभाजन एवं पुनर्गठन के अनुमोदन से भवन मानदण्डों का उल्लघन कर किए गए निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा।
 - 4- प्रस्तावित भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के लीजडीड/पट्टा जारी होने के पश्चात् ही माना जावेगा।
 - 5 - सम्पूर्ण मूल भूखण्ड के उपविभाजन/पुनर्गठन की स्वीकृति उपरान्त सृजित भूखण्डों/भूखण्ड का पूर्व में जारी मूल लीजडीड / पट्टा प्राधिकरण को समर्पित किए जाने पर संशोधित ले-आउट प्लान अनुसार लीजडीड / पट्टा जारी किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण,
उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपि
1.ड्राइंग शाखा, उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर ।

प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण,
उदयपुर (राज.)